न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2017 (RCMS 2017/00051)	**28.02.2017**	13.03.2020

अनवान

1. पूजा पिता सोहन लाल जाति ढोली आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. दिक्षा पिता सोहन लाल जाति ढोली आयु नाबालिग जरिये माता दुर्गा पत्नि स्व0 सोहन लाल जाति ढोली निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
3. सरिता पिता सोहन लाल जाति ढोली आयु नाबालिग जरिये माता दुर्गा पत्नि स्व0 सोहनलाल जाति ढोली निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
4. पायल पिता सोहन लाल जाति ढोली आयु नाबालिग जरिये माता दुर्गा पत्नि स्व0 सोहनलाल जाति ढोली निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
5. रेणुका पिता सोहनलाल जाति ढोली आयु नाबालिग जरिये माता दुर्गा पत्नि स्व0 सोहनलाल जाति ढोली निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
6. दुर्गा पत्नि सोहनलाल जाति ढोली आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी चित्तौडगढ राज0।
7. शंकर लाल पिता मोहनलाल जाति ढोली आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी चित्तौडगढ राज0।
8. प्रभुलाल पिता मोहनलाल जाति ढोली आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी चित्तौडगढ राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पिता जमना लाल जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. तेजमल पिता जमनालाल जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
3. कोकीसा पिता जमनालाल जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0। **(विलोपन)**
4. रेखा पिता जमनलाल जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0। **(विलोपन)**
5. कमला पत्नि स्व0 जमनालाल जाति ब्राहम्ण आयु निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री के0एल0अहीर प्रार्थी।
अधिवक्ता श्री राजमल सुखवाल अप्रार्थीगण।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राज0काशतकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार मौजा ग्राम रूद व पटवार हल्का रूद के बेरून हल्का आबादी में प्राथीगण के सहखातेदारी व आधिपत्य कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी संख्या 972 रकबा 2.07, आराजी संख्या 973 रकबा 0.13, आराजी संख्या 981 रकबा रकबा 4–05 कुल किता 3 कुल रकबा 4.14 बीघा स्थित है। वर्तमान राजस्व अभिलेख अुनसार मौजा ग्राम रूद व पटवार हल्का रूद के बेरून हल्का आबादी में अप्रार्थीगण की खातेदार व कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी संख्या 969 रकबा 8–14 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण अपने सह खातेदारी अधिकार व अधिपतय की उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने व बैलगाडी ट्रेक्टर आदी लाने ले जाने हेतु ग्र्रम रूद की आबादी से चलकर आबादी की उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते (ग्राम बावलास जाने का पुराना रास्ता) जो कि वर्तमान में सी.सी. रोड है, पर होते हुवे अप्रार्थीगण के सहखातेदारी अधिकार की उक्त वर्णित आराजी नम्बर 969 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर इसी आराजी (आराजी नम्बर 969) की दक्षिणी मेड पर होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 972 मे पहुँचते हैं। तथा 972 से 973 व 981 में पहुँचते हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर रबी व खरीफ के फसले पैदा करते चले आ रहे है प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजीयात पर विधुत कनेक्सन भी करवा रखा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने ट्रेक्टर बैल गाडी लाने ले जाने सदैव से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी अधिकार की उक्त वर्णित आराजी नम्बर 969 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर दक्षिण मेंड पर स्थित करीब 15 फीट चौडे रास्ते पर होते हुए अपनी आराजी नम्बर 972 पर आ रहे जा रहे है। आराजी नम्बर 969 की दक्षिणी मेड पर स्थित रास्ता सदैव से होकर प्रार्थीगण सदैव से अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने हेत उक्त रास्ते का लगातार खुले तौर पर शान्ति पुर्वक चालीस सालों से भी अधिक समय से पीढी दर पीढी सुखाधिकार के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को उक्त वर्णित रास्ते बाबत सुखाधिकार प्राप्त है। तथा यही एक मात्र प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने का है, इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 969 के दक्षिणी मेड पर होकर आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त हैं । प्रार्थीगण के आने जाने में अप्रार्थीगण को रूकावट करने का कोई अधिकार नही है।

प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजीयात पर इस वर्ष गेहूँ की फसल बोने के लिये अपने खेतों की हकवाई करके तैयार कर लिये थे तथा गैहूँ बोने के तैयारी में थें कि दिनांक 13.11.2016 को अप्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 969 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित रास्ते की जगह पर करीब एक फीट ऊँचाई में पत्थर लगा दिये तथा बबुल की छडिया भी डाल दि तथा दक्षिण मेड पर स्थित रास्ते की जगह मे से आधी से ज्यादा जगह को हकवा दी तथा गेहूँ की फसल बो दी । प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने यह भी धमकी दी कि आज से रास्ता बन्द हो गया है। जिस पर प्रार्थीगण ने ऐतराज किया और कहा कि हम पिढीयों से इसी रास्ते से हाकर आ रहे जा रहे हैं। रास्ता बन्द हो जाने से हमारी जमीन पडत पर जायेगी हमारे भूखे मरने की नोबत आ जायेगी परन्तु अप्रार्थीगण ने एक भी बात नही सुनी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि आज के बाद से यहॉ से आने जाने की कोशिश की तो हाथ पॉव तोड देगे। प्रार्थीगण के खेत बिना फसल के पडे हुवे है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 972 पर पहूँचने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 969 की दक्षिणी मेड पर 12 फीट चौडा व आराजी नम्बर 969 की दक्षिणी भुजा की जितनी लम्बाई है। उतनी लम्बाई अंदाजन करीब 250 फीट जमीन रास्ते हेतु आवश्यकता है। जिसका नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है। ग्राम रूद के नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 969 के दक्षिण मेड पर 12 फीट चौडा रास्ता जो आराजी नम्बर 969 के दक्षिणी पश्चिम कोने से लगाकर आराजी नम्बर 969 के दक्षिणी पुर्वी कोने तक रास्ता का अंकन किया जाना तथा इसी अनुसार सम्बन्धीत जमाबन्दी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय आप से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की 972 पर आने जाने हेतु आ0सं0 969 की दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर दक्षिण मेड पर जो रास्ता हैं उसे खुला कराया जावे। तथा सम्बन्धीत नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में रास्ते का अंकन कराया जावे। तथा प्रार्थीगण,अप्रार्थीगण को उचित प्रतिकर देने को तैयार हैं। तथा अन्य कोई अनुतोष प्रार्थीगण के मुफीद हो वह प्रदान फरमायी जावे।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। तहसीलदार राशमी को रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिये गये। दिनांक 30.08.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1-2-5 की ओर से अधिवक्ता राजमल सुखवाल उपस्थित । दिनांक 06.03.2019 को वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 3-4 का नाम हटाने हेतु प्रार्थना पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 26.03.2019 को वकील अप्रार्थी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे बहस करना चाहते जो स्वीकार किया गया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र नाम विलोपन को

स्वीकार कि जाकर अप्रार्थी संख्या 3–4 का नाम विलोपित किया जाते हैं। दिनांक 10.06.2019 को वकील प्रार्थी ने संशाधित अनवान पेश किया गया जिसे रेकार्ड पर लिया जाता हैं।

दिनांक 10.06.2019 को तहसीलदार राशमी से पत्रांक/राजस्व/मूल /18/129 दिनांक14.02.2018 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे रेकार्ड पर ली जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 11.03.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का निवदेन किये जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे रेकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से ईंकार किया एवं निवेदन किया प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1,2 अस्वीकार है। कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात पर कई वर्षो से तारबन्दी करवा रखी हैं। प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात जाट समाज से क्रय की गई थी। जबकी प्रार्थीगण की आराजीयात जाट समाज की आराजी का हिस्सा थी। जबकी प्रार्थीगण की आराजीयात जाट के पुर्व में आराजी नं. 968,967 रेकार्ड रास्ता नम्बर 1069 से होतु हुए आराजी नं. 967 से दक्षिणी मेड से होते हुवे प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 981 की उत्तरी मेड से अपनी आराजीयात में आते जाते हैं। तथा फसल काश्त कर रहे तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तंग परेशान के लिये यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज किये जाने योग्य हैं। कॉलम संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात पर कई वर्षो से तारबन्दी करवा रखी हैं। प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात जाट समाज से क्रय कि थी। जबकी प्रार्थीगण की आराजीयात जाट समाज की आराजी का हिस्सा थी। जाट समाज की आराजीयात के पुर्व में आराजी नं. 968,967 रेकार्ड रास्ता नम्बर 1069 से होते हुवे आराजी नं. 967 से दक्षिणी मेड से हेाते हुवे प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 981 की उत्तरी मेड से अपनी आराजीयात में आते जाते हैं। तथा फसल काश्त कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तंग परेशान के लिये झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज किये जाने योग्य हैं। तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण आराजीयात मे कभी भी आये गये नही हैं। कॉलम संख्या 5,6,7,8 गलत होकर अस्वीकार हैं।

दिनांक 12.03.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर साक्ष्य स्वीकार किये जाकर सीधे बहस का निवेदन किया गया। अभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता अभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया।

तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/मूल /18/129 दिनांक14. 02.2018 से प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया गया की प्रार्थी की आराजीयात पर पहुॅचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं पक्षकारान को राजीनामें बाबत् तलब किया गया किन्तु अप्रार्थी हाजिर नहीं रहें। प्रार्थी की आराजीयात पर पहुॅचने के लिए आराजी संख्या 969 रकबा 8–14 बीघा में से 35 गट्ठा लम्बाई एवं 2 गट्ठा चौडा रास्ते हेतु कुल रकबा 04 बिस्वा प्रस्तावित किया गया। जिसका प्रतिकर राशि इस क्षेत्र की डीएलसी दर की दुगुनी राशि से कुल 59320/– रूपये अक्षरे उन्नसाठ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र प्रतिकर के रूप में तय की गई हैं। जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध है।

रिपोर्ट तहसीलदार राशमी अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजियात पर पहुॅचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार 04 बिस्वा भूमि हेतु प्रतिकर राशि 59320/– रूपये नियमानुसार देय बनते है जो कि आराजी संख्या 969 रकबा 8–14 बीघा के खातेदार मुकेश तेजमल पिता जमनालाल ब्राहम्ण एवं कमला पत्नि स्व0 जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी रूद को हक हिस्सा अनुसार देय हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता हैं कि अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 969 रकबा 8–14 बीघा में से तहसीलदार राशमी की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा के अनुसार 04 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर राशि 59320/– रूपये वसूल की जाकर अप्रार्थीगण मुकेश तेजमल पिता जमनालाल ब्राहम्ण एवं कमला पत्नि स्व0 जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी रूद को आराजीयात के अनुसार हक हिस्से अनुसार वितरित किया जावें। इस हेतु तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता हैं कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार वितरण किया जावें एवं तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 59320/– रूपये प्रार्थी से वसूल किये जाकर खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान किया जाकर मौजा रूद पटवार हल्का रूद की आराजी संख्या 969 रकबा 8–14 बीघा मै से मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 04 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 04 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। एवं नक्शें में आवश्यक तरमीम की जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक को **13.03.2020** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी